न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 37 / 2022

श्री राधेश्याम ऊंचियां गांव, पो0 बन्शी बागरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास।

............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 12.07.2022**

अपीलार्थी श्री राधेश्याम ऊंचियां गांव, पो0 बन्शी बागरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 22 / 334 दिनांक 08.06.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास का जबाब पत्र क्रमांक / एलआर / 2022 / 1729 दिनांक 27.06.2022 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2022 द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास से सूचना चाही गई है। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि से जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आरटीआई की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार रूपवास को भेजा गया है। तहसीलदार रूपवास के

.............2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(2) अपील / आरटीआई / 37 / 2022
राधेश्याम ऊंचिया बनाम तह0 रूपवास

जबाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये जरिये पत्र कमांक / एलआर / 2022 / 1724 दिनांक 27.06.2022 से पटवारी हल्का सैदपुरा को कार्यवाही हेतु लिखा गया है। इससे यह जाहिर है कि तहसीलदार रूपवास के स्तर पर चाही गई सूचना लम्बित नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही जैरकार है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (तहसीलदार रूपवास से प्राप्त पत्रादि की फोटोप्रति सहित) एवं तहसीलदार रूपवास को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर